OFFICIAL TRANSLATION issued by the INTERPRETING AND TRANSLATING SERVICE NT
In providing this translation no warranty is given to the authenticity of the presented document. Any unsealed alteration to this translation renders it invalid.
NALBALKER
14 02 2014

Interpreting and Translating Service NT
GPO Box 4621
Darwin NT 0801
Tel 08 8999 8506

Translated into Hindi
Registration No 1011t09204

सामुदायिक न्याय केंद्र (Community Justice Centre)

सामुदायिक न्याय केंद्र (Community Justice Centre) क्या है?

सामुदायिक न्याय केंद्र (CJC) समुदाय को मध्यस्थता सेवाएं (mediation services) प्रदान करने के लिए नोर्दन टेरेटरी (Northern Territory) की सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ताकि लोगों को कानूनी कार्रवाई के बिना अपने विवादों का समाधान करने में सहायता मिल सके। हमारी सेवा नि:शुल्क, गोपनीय, स्वैच्छिक, समयोचित, और प्रयोग करने के लिए आसान है।

मध्यस्थता (Mediation) का प्रयोग क्यों करें?

मध्यस्थता (Mediation) लोगों का विवाद के मामलों पर चर्चा करने हेतु एक साथ आना है। यह विवाद में शामिल सभी लोगों को परिणाम में अपने विचारों और समस्या पर अपने स्वयं के समाधानों को प्रकट करने की योग्यता देता है। यह कानूनी कार्रवाई, जो कि काफी समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, के बिना विवाद को निपटाने का तरीका प्रदान करता है।

CJC सुरक्षित व अनौपचारिक परिसर उपलब्ध कराता है जहाँ लोग प्रशिक्षित मध्यस्थता अधिकारियों (mediators) की मदद से अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।

CJC पर मध्यस्थता सत्र (Mediation sessions) एक या दो प्रशिक्षित और निष्पक्ष मध्यस्थता अधिकारियों (mediators) द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित में आपकी सहायता करेंगे:

- समस्याओं की पहचान करने में
- समस्याओं का समाधान करने के लिए तरीकों के बारे में सोचने में
- अन्य विकल्पों के बारे में सोचने में
- समझौते तक पहुँचने के लिए मिलकर काम करने में।

मध्यस्थता अधिकारी (mediators) निर्देशित करते हैं कि मध्यस्थता सत्र (mediation session) का संचालन किस प्रकार होता है। विवाद से संबंधित लोग यह निर्णय लेते हैं कि क्या चर्चा होती है और किस बात पर सहमति होती है।

मध्यस्थता अधिकारी (Mediators) निष्पक्ष होते हैं और किसी का पक्ष नहीं लेते हैं या कानूनी परामर्श नहीं देते हैं।

85% से अधिक मध्यस्थता (mediations) के मामलों में परिणाम समझौते का होता है। अधिकांश मामलों में मध्यस्थताओं (mediations) की व्यवस्था शीघ्र ही की जा सकती है और ऐसा करने में लगभग 2-4 घंटों का समय लगता है।

कौन से विवाद मध्यस्थता (mediation) के लिए उपयुक्त होते हैं?

CJC निम्नलिखित सहित व्यापक प्रकार के विवादों में आपकी सहायता कर सकता है:

- बाड़, शोर, पालतू जानवर, वृक्षों, संपत्ति को नुकसान और लोगों के बर्ताव जैसे मामलों को लेकर स्थानीय समुदाय/अड़ोस-पड़ोस (neighbourhood) में होने वाले विवाद
- वो क्लब व संस्थाएं जिनके सदस्यों में झगड़ा चल रहा हो।
- परिवार के सदस्यों के बीच संबंध
- स्माल क्लेमस/सिविल क्लेमस (Small claims/civil claims)
- पीड़ित व्यक्ति व दोषी के बीच कॉन्फ्रेंसिंग (Victim Offender Conferencing)
- कई अन्य प्रकार के विवाद

मध्यस्थता (mediation) की व्यवस्था किस प्रकार करें

आप हमारे फ्रीकॉल नंबर पर टेलीफोन कर सकते/सकती हैं, हमें लिख सकते/सकती हैं, ई-मेल कर सकते/सकती हैं या स्वयं हमें मिलने आ सकते/सकती हैं।

नि:शुल्क दुभाषिया सेवाएं उपलब्ध हैं।

The translation of this document was based on a photocopy of the source document. The Interpreting and Translating Service NT is unable to, and does not, implied or otherwise, warrant the authenticity of the source document.

जब आप CJC को फोन करते/करती हैं, तो हमारे अनुभवी कर्मचारी:

- समस्या के बारे में आपसे बात करेगें और उन विधियों के बारे में चर्चा करेगें जिनके द्वारा आप स्वयं इस समस्या का समाधान कर सकते/सकती हैं
- जानकारी और/या निर्दिष्टन (रेफरल) प्रदान करेंगे
- इस बात को निर्धारित करेंगे कि क्या आपका विवाद मध्यस्थता (mediation) के लिए उपयुक्त है और यदि ऐसा है, तो आपके, आपकी चिंताओं और इसमें शामिल अन्य व्यक्ति/यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए निवेदन करेंगे; और
- आपकी अनुमति के साथ, ऐसे समय पर मध्यस्थता (mediation) की व्यवस्था करने के लिए दूसरे व्यक्ति/यों से संपर्क करेंगे जो आप दोनों के लिए उचित हो।

मध्यस्थताओं की व्यवस्था दिन, शाम या सप्ताहांत के दौरान की जा सकती है।
मध्यस्थताओं का आयोजन डार्विन (Darwin) में सामुदायिक न्याय केंद्र (Community Justice Centre) पर या संपूर्ण टेरेटरी (Territory) में उपयुक्त स्थानीय स्थलों पर किया जाता है।
टेलीफोन कांफ्रेस की व्यवस्था भी की जा सकती है

संपर्क

अधिक जानकारी के लिए:
टेलीफोन: 1800 000 473
फैक्स: 08 8999 6226
वेब: www.cjc.nt.gov.au
ई-मेल: cjc.doj@nt.gov.au

डाक पता:
GPO Box 1722
DARWIN NT 0801

स्वयं आकर मिलें:
1st Floor Darwin Magistrates Court
Nichols Place
Darwin NT 0800

OFFICIAL TRANSLATION issued by the INTERPRETING AND TRANSLATING SERVICE NT
In providing this translation, no warranty is given to the authenticity of the presented document. Any unsealed alteration to this translation renders it invalid.
N ALBAKER
14/02/2011

The translation of this document was based on a photocopy of the source document. The Interpreting and Translating Service NT is unable to, and does not, implied or otherwise, warrant the authenticity of the source document.

DEPARTMENT OF **HOUSING, LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL SERVICES** www.nt.gov.au/dhlgrs